

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2000] No. 2000] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2017/आषाढ़ 27, 1939 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2017/ASADHA 27, 1939

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

का. आ. 2245(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला रायबरेली के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

İ	जिलाधिकारी, रायबरली	—अध्यक्ष
ii	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय प्रखण्ड, रायबरेली	—सदस्य
iii	अधिशासी अभियंता, शारदा सहायक कमांड (दक्षिण), रायबरेली	—सदस्य
iv	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली	—सदस्य
V	अधिशासी अभियंता, जल निगम, रायबरेली	—सदस्य
vi	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, रायबरेली	—सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली	—सदस्य
viii	जिला वन अधिकारी, रायबरेली	—सदस्य व संयोजक

4379 GI/2017 (1)

ख- नामित सदस्यगण:

i	अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त व राजस्व), रायबरेली	—सदस्य
ii	अध्यक्ष, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली	—सदस्य
iii	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत खजूर गाँव विकास खंड, लालगंज, रायबरेली	—सदस्य
iv	श्री विमल कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, रायबरेली	—सदस्य
V	श्री वी .पी .मौर्य, सहायक वैज्ञानिक, रायबरेली	—सदस्य
vi	श्री सौरभ कंसल, मेसर्स टेक्नो प्लास्टिक्स, रायबरेली	—सदस्य

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अविध के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड- II)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O.2245 (**E**).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Rae Bareli, in the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

District Magistrata Das Dorali

(a)	District Magistrate, Rae Baren,	—Champerson,
(b)	Executive Engineer, Public Works Department, Provincial Division, Rae Bareli,	—Member;
(c)	Executive Engineer, Sharda Sahayak Command (South), Rae Bareli,	—Member;
(d)	Chief Medical Officer, Rae Bareli,	—Member;
(e)	Executive Engineer, Jal Nigam, Rae Bareli,	—Member;
(f)	Executive Engineer, Rural Engineering Department, Rae Bareli,	—Member;
(g)	Regional Officer, Pollution Control Board, Rae Bareli,	—Member;
(h)	District Forest Officer, Rae Bareli,	—Member and
		Convenor;

_					_	
R	No	ning	ted	M	emi	erc.

- (a) Additional District Magistrate (Finance & Revenue) Rae Bareli, —Member;
 (b) Chairman, Nagar Panchayat, Dalmau, Rae Bareli, —Member;
 (c) Gram Pradhan, Gram Panchayat Khajoor Gaon Vikas Khand, Lalganj, Rae Bareli,
 (d) Sri Vimal Kumar, Assistant Environment Engineer, Rae Bareli, —Member;
 (e) Sri V. P. Maurya, Assistant Scientist, Rae Bareli, —Member;
- (f) Sri Saurabh Kansal, M/s. Techno Plastics, Rae Bareli, —Member.

The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.

- 3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016.
- 4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]
RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

का. आ. 2246 (अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कासगंज के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित —सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

i	जिलाधिकारी, कासगंज	—अध्यक्ष		
ii	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कासगंज	—सदस्य		
iii	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, कासगंज	—सदस्य		
iv	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज	—सदस्य		
٧	अधिशासी अभियंता, जल निगम, कासगंज	—सदस्य		
vi	परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा	—सदस्य		
vii	प्रभागीय वन अधिकारी, कासगंज	—सदस्य व संयोजक		
ख- नामित सदस्यगण :				
i	पुलिस अधीक्षक, कासगंज	—सदस्य		
ii	मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज	—सदस्य		

iii	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सोरोन	—सदस्य
iv	श्री राधे श्याम फरतेवाल, मोहल्ला चन्दन चौक, सोरोन,	—सदस्य
	(पर्यावरणविद)	
٧	श्री संतोष कुमार मिश्रा, मोहल्ला-टेढ़ा नीम, सोरोन (पर्यावरणविद)	—सदस्य
vi	प्रबन्धक, न्योली शुगर फ़ैक्टरी, न्योली,	—सदस्य

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]
राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

—Chairperson;

-Member;

ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O. 2246(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Kasganj, in the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

(a)

District Collector, Kasganj,

Executive Engineer, Public Works Department, Kasganj,

	(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Kasganj,	—Member;
	(d)	Chief Medical Officer, Kasganj,	—Member;
	(e)	Executive Engineer, Jal Nigam, Kasganj,	—Member;
	(f)	Project Manager, Yamuna Pollution Control Unit, U P Jal Nigam, Agra,	—Member;
	(g)	Divisional Forest Officer, Kasganj,	-Memberand Convenor;`
B.	Nor	ninated Members:	
	(a)	Superintendent of Police, Kasganj,	—Member;
	(b)	Chief Development Officer, Kasganj,	—Member;
	(c)	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Soron,	—Member;
	(d)	Sri Radhye Shyam Phartewal, Mohalla Chandan Chowk, Soron. (Environmentalist),	—Member;
	(e)	Sri Santosh Kumar Mishra, Mohalla - Terha neem, Soron. (Environmentalist),	—Member;
	(f)	Manager, Nyoli Sugar Factory, Nyoli,	—Member.

- 2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016.
- 4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]
RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

-अध्यक्ष

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

का. आ. 2247(अ).—केंद्र सरकार के दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला उन्नाव के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

i

जिलाधिकारी, उन्नाव

ı	ाजलाविकारा, उन्नाव	—जञ्चन
ii	सहायक अभियंता, निर्माण प्रखंड1-, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव	—सदस्य
iii	सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, उन्नाव	—सदस्य
iv	फिजीसियन, जिला चिकित्सालय, उन्नाव	—सदस्य
V	सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण प्रखण्ड, उन्नाव	—सदस्य
vi	सहायक अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, उन्नाव	—सदस्य
vii	सहायक अभियंता (पर्यावरण) , उन्नाव	—सदस्य
viii	उप प्रभागीय वन अधिकारी, उन्नाव	—सदस्य व संयोजक
ख- नामित स	दस्यगण :	
i	श्री अतीन्द्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव	—सदस्य
ii	श्री राम चन्द्र गुप्ता,अध्यक्ष , नगर पालिका परिषद, उन्नाव	—सदस्य
iii	श्री राम गोपाल द्विवेदी, प्रधान, कनिकामऊ, विकास खंड, सिकंदरपुर सरोसी, उन्नाव	—सदस्य
iv	श्री पंकज यादव, सहायक अभियंता (प्रदूषण), उन्नाव	—सदस्य
V	श्री रजनीकान्त श्रीवास्तव, अध्यक्ष, उद्योग व्यापार मण्डल, उन्नाव	—सदस्य

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अविध के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O. 2247(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Unnao, in the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

1. (a)	District Magistrate, Unnao,	—Chairperson:
(b)	Assistant Engineer, Construction Division-1, Public Works	
	Department, Unnao,	—Member;
(c)	Assistant Engineer, Irrigation Department, Unnao,	—Member;
(d)	Physician, District Hospital, Unnao,	—Member;
(e)	Assistant Engineer, Rural Engineering Division, Unnao,	—Member;
(f)	Assistant Engineer, U.P. Jal Nigam, Unnao,	—Member;
(g)	Assistant Engineer (Pollution), Unnao,	—Member;
(h)	Deputy Divisional Forest Officer,	—Member and Convenor;
2.	Nominated Members:	
(a) (b) (c)	Sri Atindra Singh, District Agriculture Officer, Unnao, Sri Pankaj Yadav, Assistant Engineer (Pollution), Sri Ram Chandra Gupta, Chairman, Nagar Palika Parishad,	—Member; —Member;
(d)	Sri Ram Gopal Dwivedi, Pradhan, Kanikamau Vikas Khand, Sikandarpur Sarosi,	—Member;—Member;
(e)	Sri Rajnikant Srivastava, Chairman, Udyog Vyapar Mandal,	,

- 2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016.
- 4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

—Member.

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

का. आ. 2248(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला कानपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

जिलाधिकारी, कानपुर (शहर)

गंगा विचार मंच

कानपुर

νi

	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ii	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड, कानपुर	—सदस्य
iii	अधिशासी अभियंता, बैराज निर्माण प्रखण्ड -2, फूलबाग, कानपुर	—सदस्य
iv	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, पांडुनगर, कानपुर	—सदस्य
٧	अधिशासी अभियंता, जल निगम, कानपुर	—सदस्य
vi	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर	—सदस्य
vii	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, कानपुर प्रभाग, कानपुर (शहर)	—सदस्य व संयोजक
ख- नामित -	–सदस्य:	
i	अतिरिक्त जिलाधिकारी, कानपुर (शहर)	—सदस्य
ii	श्री निर्भय सिंह, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बिल्हौर	—सदस्य
iii	श्री कमलेश कथेरिया, अध्यक्ष, नगर पंचायत, शिवराजपुर	—सदस्य
iv	श्री अनिल कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय राजबली सिंह,578 , लखनपुर हाउसिंग	—सदस्य
	सोसाइटी, कानपुर (शहर)	

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

श्री उमेश चन्द्र निगम, 35 -सूर्य विहार, खोरा आज़ाद नगर, कानपुर, संयुक्त

श्री सुनील गुप्ता, पीआईए, जे- 24-पनकी औद्योगिक क्षेत्र, साइड नं- 3,

- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

-अध्यक्ष

–सदस्य

–सदस्य

Chairperson;

Member;

Member:

Member.

ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O. 2248(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Kanpur, in the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

District Magistrate, Kanpur (City),

Housing Society, Kanpur (City),

Kanpur, Joint Ganga Vichar Manch,

(a)

В.

(f)

- (b) Executive Engineer, Public Works Department, Provincial Division, Member; Kanpur, Executive Engineer, Barrage Construction Division-2, Phoolbagh, Member; Kanpur, (d) Nagar Health Officer, Kanpur Municipal Corporation, Kanpur, Member; Executive Engineer, Jal Nigam, Pandu Nagar, Kanpur, Member: (e) Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur, Member: (f) Divisional Director, Social Forestry, Kanpur Division, Kanpur (City), Member (g) and Convenor; **Nominated Members:** Additional District Magistrate, Kanpur (City), (a) Member; (b) Sri Nirbhoy Singh, Chairman, Nagar Palika Parishad, Billhore, Member; Sri Kamlesh Katheria, Chairman Nagar Panchayat, Shivrajpur, (c) Member; Sri Anil Kumar Singh, S/o Late Rajbali Singh, 578, Lakhanpur (d)
- The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.

Sri Sunil Gupta, PIA, J-24-Panki Industrial Area, Side No.3 Kanpur,

Sri Umesh Chandra Nigam, 35-Surva Vihar, Khora Azad Nagar,

- 3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7^{th} October, 2016.
- 4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]
RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

का. आ. 2249(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला रुद्रप्रयाग के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

ન પ	दन सदस्यगण	
i.	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग	—अध्यक्ष
ii.	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
iii.	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग ,रुद्रप्रयाग	—सदस्य
iv.	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
٧.	परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
vi.	सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण सुरक्षा व	
	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहारादून	—सदस्य
vii.	उप-प्रभागीय वन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	—सदस्य व संयोजक
ख- नामितः	सदस्य:	
i.	जिला विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
ii.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग	—सदस्य
iii.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्तमुनि	—सदस्य
iv.	श्री जगत सिंह चौधरी (जंगली), ग्राम व डाकघर कोटमल्ला, पर्यावरणविद	—सदस्य
٧.	श्री राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी, श्री अगस्तया संगीतालय, पर्यावरणविद	—सदस्य
vi.	श्री पूरन सिंह नेगी, मेसर्स सूरज बेकर्स एम.ओ .आस्थान भातवडी सैन, उद्योग संघ- प्रतिनिधि	—सदस्य

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O. 2249(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Rudraprayag, in the State of Uttarakhand, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

	(a)	District Collector, Rudraprayag,	-Chairperson;
	(b)	Executive Engineer, Public Works Department, Rudrapryag,	—Member;
	(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Rudraprayag,	—Member;
	(d)	Executive Engineer, Rural Engineering Service, Rudraprayag,	—Member;
	(e)	Project Manager, Swajal Project, Rudraprayag,	—Member;
	(f)	Assistant Environment Engineer, Regional Office, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun,	—Member;
	(g)	Sub- Divisional Forest Officer, Rudraprayag,	—Member and Convenor;
В.	Noi	ninated Members:	
	(a)	District Development Officer, Rudraprayag,	—Member;
	(b)	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Rudraprayag,	—Member;
	(c)	Executive Officer, Nagar Panchayat, Agustmuni,	—Member;
	(d)	Mr. Jagat Singh Chaudhary (Jangli), Village and Post Office Kotmalla, Environmentalist,	—Member;
	(e)	Mr. Rajendra Prasad Goswami, Shri Agastya Sangeetalay, Environmentalist,	—Member;
	(f)	Mr. Puran Singh Negi, M/s. Sujal Bakers M.O. Aashthan Bhatwadi Sain, Udhyog Sangh – Representation,	Manakan

- 2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7^{th} October, 2016.
- 4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chair Person may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)

National Mission for Clean Ganga

-Member;

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

का. आ. 2250(अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

i	जिला कलेक्टर, चमोली	—अध्यक्ष
ii	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर	—सदस्य
iii	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, चमोली	—सदस्य
iv	अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड पेयजल निगम, गोपेश्वर	—सदस्य
٧	अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, गोपेश्वर	—सदस्य
vi	सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड	—सदस्य
	पर्यावरण सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहारादून	
vii	प्रभागीय वन अधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग	—सदस्य व संयोजक
ख- नामित स	दस्यगण :	
i	परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, गोपेश्वर चमोली	—सदस्य
ii	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चमोली- गोपेश्वर	—सदस्य
iii	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग	—सदस्य
iv	श्री सतीश चौहान, अध्यक्ष, यू.सी.ओ .क्लब, भ्यूंडार,जोशीमठ, चमोली	—सदस्य
V	श्रीमती चंद्रकला तिवारी, जय माँ नन्दा समिति, गोपेश्वर	—सदस्य
vi	श्री अंकोला पुरोहित, अध्यक्ष, व्यापार संघ, गोपेश्वर	—सदस्य

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 18th July, 2017

S.O. 2250(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the para 53 of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016, the Central Government hereby constitutes an authority to be called the District Ganga Protection Committee for the District Chamoli, in the State of Uttarakhand, comprising of the following members, namely:—

A. Ex-officio Members:

(a)	District Collector, Chamoli,	—Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Public Works Department, Gopeshwar,	—Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Chamoli,	—Member:

	(d)	Executive Engineer, Uttarakhand Peyjal Nigam, Gopeshwar,	—Member;
	(e) (f)	Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Gopeshwar, Assistant Environment Engineer, Regional Office, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board, Dehradun,	—Member; —Member;
В.	(g)	Divisional Forest Officer, Badrinath Forest Division, minated Members:	—Member and Convenor;
	(a) (b) (c) (d)	Project Manager, Swajal Project, Gopeshwar Chamoli, Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Chamoli – Gopeshwar, Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Karnprayag, Mr. Satish Chauhan, Chairman, UCO Club, Bhiyundar, Joshimath Chamoli,	—Member; —Member; —Member; —Member;
	(e) (f)	Smt. Chandrakala Tiwari, Jai Maa Nanda Samiti, Gopeshwar, Mr. Ankola Purohit, Chairman, Vyapar Sangh, Gopeshwar,	—Member; —Member.

- 2. The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of this order.
- 3. The District Ganga Committee shall exercise such powers and perform such functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016.
- 4. Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said Notification dated the 7th October, 2016.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)] RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration) National Mission for Clean Ganga